



राजस्थान सरकार  
निदेशालय महिला अधिकारिता  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004  
0141-2716402 : commissionerwcd@rajasthan.gov.in : wcd.rajasthan.gov.in



क्रमांक:-एफ.1(1)(43) निमअ/स्था/2008/पार्ट-1/ ~~1027~~

जयपुर, दिनांक : ~~16-2-22~~

### आदेश

निम्न प्रशिक्षु सहायक निदेशकों (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) जो कि हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, उदयपुर में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, का वेतन उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि एवं स्थान से सहायक निदेशक के रिक्त पद से वेतन आहरित कर वितरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र.स.	नाम सहायक निदेशक	कब से	वेतन आहरित करने का स्थान
1.	श्री रोहित कुमार शर्मा	दिनांक 28.12.2021 से	निदेशालय महिला अधिकारिता, मुख्यालय
2.	सुश्री अनुश्री जैन	दिनांक 27.12.2021 से	निदेशालय महिला अधिकारिता, मुख्यालय

(डॉ. आभा जैन)

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.

क्रमांक:-एफ.1(1)(43) निमअ/स्था/2008/पार्ट-1/6280-06 जयपुर, दिनांक : 16-2-22  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), हरिश्चन्द्र माथुर रीपा, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), एवं प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, हरिश्चन्द्र माथुर रीपा, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर।
4. आहरण वितरण अधिकारी, महिला अधिकारिता, मुख्यालय।
5. श्री रोहित कुमार शर्मा/सुश्री अनुश्री जैन, प्रशिक्षु अधिकारी।
6. प्रोग्रामर, महिला अधिकारिता, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. व्यक्तिगत पत्रावली।
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक, म.अ.